न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 40/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/51

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री भवरलालजी पटेल, मैसर्स जय कल्याण दुध डेयरी, मैन रोड, मैन बाजार, खमेरा तहसील घाटोल, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10–10–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 12–09–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03–02–2022 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स जय कल्याण दुध डेयरी, मैन रोड, मैन बाजार, खमेरा तहसील घाटोल** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री भवरलालजी पटेल** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एल्युमिनीयम की केन में लगभग 15 किग्रा. **घी** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए एक किलोग्राम घी वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 480 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा घी को चार साफ सुखी चौडे मुह की शिशी में बराबर बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक नमूना शिशी में डालकर ढक्कन एयर टाईड बंद किया एवं नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना पैकेट मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/51–52 दिनांक 18–02–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.11 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 163 दिनांक 16-02-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया घी का नमूना Unsafe food under section 3(1)(zz)(vii)(viii) & (xi) of food safecty and standards Act 2006, due to presence of Exterior Fat पाया गया। नमूने की पुनः जॉच हेतु अपील की गई, जिस पर नमूना पुनः जॉच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया। डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफएसएसए / 2022 / 231-32 दिनांक 26.06.2022 एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जॉच रिपोर्ट संख्या 238एफ / एफएसएसए / 2022 दिनांक 07.06.2022 अनुसार नमूना Sub-standerd under section 3(1)(zx) of food safecty and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड घी** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-09-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10.10.2022 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी महनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफएसएसए / 2022 / 231-32 दिनांक 26.06.2022 एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जॉच रिपोर्ट संख्या 238एफ / एफएसएसए / 2022 दिनांक 07.06.2022 अनुसार घी का नमूना Sub-standerd under section 3(1)(zx) of food safecty and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड** घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टैण्डर्ड पाये गए घी को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.11 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री भवरलालजी पटेल, मैसर्स जय कल्याण दुध डेयरी, मैन रोड, मैन बाजार, खमेरा तहसील घाटोल, बॉसवाडा रूपये 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/10

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.11 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner